

**CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT**

Mohammad Asif मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

**PUBLIC WEB SERVICE****CONTACT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****अंतरजातीय विवाह YOJANA**

- प्यारे दोस्तों इंटर कास्ट मैरिज का मतलब है अलग-अलग जातियों में विवाह करना | अंतरजातीय विवाहों के बाद दंपत्ति को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है, घर- परिवार से भागना पड़ता है. कई बार पुलिस भी उन पर दबाव डालती है | यह सब कुछ ना हो राजस्थान सरकार में प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है | उन्हें 'एकमुश्त' राशि मिलेगी तो नया घर बसाने में सुरक्षा रहेगी. यदि कोई फर्जी मामला पेश आए तो कानूनी कार्यवाही तो की ही जा सकती है।

**राजस्थान में अंतर जाति विवाह लाभ / inter caste marriage benefits in Rajasthan**

- उन्हें 'एकमुश्त' राशि मिलेगी तो नया घर बसाने में सुरक्षा रहेगी।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि देने का यही मुख्य लाभ है उनको नया घर बनाने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- सरकार की यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की है। सरकार का प्रयास है कि ऐसी योजनाएं समाज में सामाजिक समरसता पैदा करती हैं।

**अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि**

- डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत युगल के सुखद दांपत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति-पत्नी के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि में से 2.50 लाख रुपये |
- दोनों के संयुक्त खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट के रूप में |
- 2.50 लाख रुपये दांपत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक व घरेलू उपयोग आदि की चीजों की खरीद के लिए |
- नकद सहायता उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

**अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता**

- आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- जो भी युवकों ने आपस में विवाह किया हो वह दोषी नहीं होनी चाहिए अपराधिक मामलों में नहीं होने चाहिए।
- विवाह का मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए |
- जो अंतरजातीय प्रोत्साहन राशि के लिए सालाना आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जो भी जोड़ा इस राशि खोलेगा उस का विवाह पहली बार ही होना चाहिए यानी कि मैं दुबारा विवाह करने पर किस राशि का हकदार नहीं होगा।
- विवाह होने के 1 साल के अंदर उसको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करना होगा।

**इंटर कास्ट मैरिज जरूरी कागजात**

- मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जोड़े की संयुक्त फोटो

**अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन**

- आवेदन कर्ता राशि लेने के लिए यहां पर **वेबसाइट पर क्लिक करेंगे।**
- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थी अपने गृह जिले में ई-मित्र, **राजस्थान एस.एस.ओ.** के माध्यम से एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
- योजनान्तर्गत वांछित आवश्यक दस्तावेज आवेदन करते समय ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
- किसी भी स्थिति में विवाह के एक वर्ष पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छूट नहीं होगी। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।